न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : विश्राम मीणा, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 41/2015

प्रार्थीगण–

1. निम्बाराम पुत्र समरथाराम
2. मिसरीराम पुत्र रूगाराम
3. सुगालाराम पुत्र नाथूराम
4. खेराजराम पुत्र कमलाराम
5. अनोपसिंह पुत्र हदसिंह
6. वीरसिंह पुत्र आम्बसिंह
   निवासीयान सणाऊ तहसील
   चौहटन जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. सरपंच, ग्राम पंचायत सणाऊ
   पंचायत समिति चौहटन
2. ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव,
   ग्राम पंचायत सणाऊ पंचायत
   समिति चौहटन

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 20.08.2015 जो ग्राम पंचायत सणाऊ द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री सुनील के मेराजा, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 05.02.2021

1. प्रार्थीगण की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत सणाऊ के द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 20.08.2015 के विरूद्ध दिनांक 02.11.2015 को प्रस्तुत की गई है।

2. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 सरपंच, ग्राम पंचायत सणाऊ द्वारा पंचायत बैठक दिनांक 20.08.2015 में प्रस्ताव संख्या 4 रखा कि राजस्व गांव सणाऊ में राजपूतों का वास में 30/40 घर पुराने समय वक्त से सेटलमेंट से बसे हुये है इसलिए खसरा नंबर 135 किस्म गैर मुमकिन ओरण रकबा 136–09 बीघा में से

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 16:02:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

5–00 (पांच) बीघा भूमि आबादी भूमि में तब्दील (कन्वर्ट) की जाये। उक्त भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु खसरा नंबर 235 किस्म गैर मुमकिन आबादी रकबा 42–12 बीघा में से ओरण के लिए प्रस्तावित की जाये क्योंकि मौके पर उक्त भूमि खाली पड़ी है। इसलिए 5–00 बीघा भूमि ओरण की पूर्ति हेतु प्रस्तावित की जावे ताकि पुराने समय से आबाद घरों को स्थाई रूप से बसाया जा सके। प्रस्ताव पर गहन विचार विमर्श बाद प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रस्ताव की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से प्रार्थीगण के अधिवक्ता को एकपक्षीय सुना गया।

4. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि प्रार्थीगण ग्राम सणाऊ के आम निवासी हैं तथा इनके घर व मकान ग्राम पंचायत सणाऊ की आबादी भूमि खसरा नंबर 235 रकबा 42–12 बीघा में स्थित हैं। उक्त आबादी भूमि के पास ही खसरा नंबर 135 गैर मुमकिन ओरण का रकबा 136–09 बीघा स्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने स्वयं एवं परिवार के सदस्यों का निजी लाभ पहुंचाने की नीयत से पंचायत की बैठक दिनांक 20.08.2015 में प्रस्ताव संख्या 4 पारित कर खसरा नंबर 135 गैर मुमकिन ओरण में से 5–00 बीघा भूमि आबादी में तब्दील करने एवं उसके बदले खसरा नंबर 235 आबादी भूमि में 5–00 बीघा भूमि ओरण के लिए प्रस्तावित किये जाने का निर्णय लिया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आलौच्य प्रस्ताव पारित करने में भारी कानूनी व तथ्यात्मक भूल की गई जो अपास्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 16:02:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)
जिला कलक्टर बाड़मेर

5. प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि मौजा सणाऊ के खसरा नंबर 135 किस्म गैर मुमकिन ओरण व खसरा नंबर 235 किस्म गैर मुमकिन आबादी वक्त सैटलमेंट से चली आ रही है। खसरा नंबर 135 रकबा 136–09 बीघा ओरण भूमि का उपयोग प्रार्थीगण एवं अन्य ग्रामवासियों द्वारा अपने पशुओं को चराने आदि के लिये किया जा रहा है। ओरण भूमि पर वर्षों पुराने पेड़–पौधे खड़े हैं तथा इस भूमि में जगतम्बा माताजी का पुराना मंदिर बना हुआ है जिससे जनसाधारण की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई है। खसरा नंबर 235 गैर मुमकिन आबादी में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों का कब्जा व निवास है जिसमें से 5–00 बीघा भूमि को गैर मुमकिन ओरण में परिवर्तन करने का पारित प्रस्ताव जनहित के विपरीत, प्राकृतिक न्याय एवं साम्या के सिद्धांतों के अनुसार आबादी के स्थान को उजाड़कर गरीब व अनुसूचित जाति के लोगों को बेदखल कर अन्य व्यक्तियों को नये घर बनाने की अनुमति दी जाना न्याय के विपरीत है। ऐसी स्थिति में आलौच्य प्रस्ताव अपास्त योग्य है अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आलौच्य प्रस्ताव खारिज किये जाने का आदेश फरमावें।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। अप्रार्थी ग्राम पंचायत सणाऊ द्वारा आम सभा की बैठक दिनांक 20.08.2015 में प्रस्ताव पारित कर ग्राम सणाऊ के खसरा नंबर 235 गैर मुमकिन ओरण भूमि में बसे हुये व्यक्तियों को नियमित करने के आशय से प्रस्ताव संख्या 4 पारित कर उक्त ओरण भूमि के बदले ग्राम पंचायत की खाली पड़ी आबादी भूमि खसरा नंबर 135 में से 5–00 बीघा भूमि दिये जाने का निर्णय लिया। जहां तक ओरण भूमि का प्रश्न है इसे चारागाह के समकक्ष माना गया है तथा इस पर यदि किन्हीं व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा रहवास कर लिया है तो इस भूमि पर उन्हें किसी भी तरह से नियमित नहीं किया जा सकता है। ग्राम पंचायत के

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 16:02:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

प्रस्ताव से ही यह स्पष्ट हो रहा है कि आबादी भूमि खाली पड़ी है तथा उक्त भूमि पर उन्हें बसाया जा सकता है। प्रार्थीगण का यह कथन है कि आबादी भूमि में उनका रहवास व मकान बने हुये हैं जिन्हें बेदखल कर अन्य व्यक्तियों को अधिवासित करने का यह एकपक्षीय निर्णय लिया गया है जो जनहित के विरूद्ध है। इस प्रकार अप्रार्थी ग्राम पंचायत सणाऊ द्वारा पारित आलौच्य प्रस्ताव राजस्व नियमों के विपरीत एवं जनहित के प्रतिकूल होकर अवैध बसे हुये लोगों को निजी लाभ पहुंचाने की गरज से गांव की शामलात भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया है जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत सणाऊ की आम सभा दिनांक 20.08.2015 में पारित प्रस्ताव संख्या 4 अपास्त किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 05.02.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विश्राम मीणा)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 16:02:35 IST
Reason: SelfAttested